प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी....बागोलिया....व भू.अ. निरिक्षक....रायपुर.....तहसील रायपुर

महोदयजी. मुताबिक प्रार्थनापत्र के ग्राम धुलखेड़ा मे प्रार्थी सुवा पिता शुमा रावणारजपूत का खाता सं. 264 मे जाति दरोगा दर्ज रिकोर्ड है किन्तु प्रार्थी के समस्त परिवार रेजो मे रावणाराजपूत दर्ज है। अतः खाता सं 264 के खातेदार की जाति रावणाराजपुत किया जाना उचित है।

प्रभु लाल बुनकर
पटवारी
प0हल्का बागोलिया
तह. रायपुर जि. भीलवाड़ा
10/10/2021

रायपुर
10/10/2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर की जांच अनुसार शुद्धि ~~स्वीकार~~ उचित है।

राजस्व
11-10-2021

11/10/21
तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर
भीलवाड़ा

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला-भीलवाड़ा

दि. 11.10.2021

क्रमांक/प्रशा० सं./2021।

रिपोर्ट पटवारी हल्का जांच भू अभि निरी व तहसीलदार रायपुर के ग्राम धुलखेड़ा प०ह० बागोलिया के खा.सं. 264 मे दर्ज खातेदार सुवा पुत्र ... के नाम पर राव... दरोगा बजाय सुवा ... इन्द्राज किया जावे। रिकार्ड मे शुद्धि किया जावे ...

11-10-2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:18 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 15 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	
दिनांक– 11-10-2021	प्रार्थी सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम धूलखेड़ा के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 264 में किता 8 रकबा 1.27 है0 भूमि प्रार्थी सुवा पुत्र खुमा दरोगा सा. देह के नाम पर सहखातेदार से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत के बजाय सुवा पिता खुमा दरोगा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम धूलखेड़ा के खाता संख्या 264 में सहखातेदार सुवा पिता खुमा दरोगा के बजाय सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार सुवा पिता खुमा दरोगा के बजाय सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली पश्चात शुमार होकर नम्बर से कम हो। 11-10-2021 (सुन्दर लाल बम्बोड़ा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:18 IST
Reason: SelfAttested